30.9.24	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण में वकील वादी की एक तरफा बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। वादवादी का दावा स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :–120/2016

रामपाल पिता स्व. गंगाप्रसाद जी पुरोहित निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. शंभूलाल पिता उदा जी मीणा निवासी गुंलाना तह0 बेगूँ
2. भूरीबाई पति स्व. उदयलाल जी मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
3. नन्दा पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
4. नानूराम पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
5. मांगीलाल पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
6. मोहनलाल पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
7. शंकरीबाई पुत्री किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
8. शंभूलाल पिता भंवरलाल जाति मीणा निवासी छोटी बिजौलिया तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
9. सुन्दर पत्नी चूना जाति मीणा निवासी छोटी बिजौलिया तह0 माण्डलगढ जिला भीलवाडा
10. नन्दूबाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना हाल मुकाम पति रमेश मीणा निवासी
    कचोलिया तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
11. कैलाशी बाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना हाल मुकाम पति सतु जी मीणा निवासी धाकड खेडी तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
12. कान्ताबाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
13. रामगोपाल पिता उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
14. दलपत पिता गंगाप्रसाद जाति पुरोहित निवासी गुलाना तह0 बेगूँ
15. नारायण लाल पिता गंगाप्रसाद जाति पुरोहित निवासी गुलान हाल मुकाम ब्रम्हपुरी मोहल्ला बेगूँ
16. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूँ
17. राजस्थान सराकर जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवाक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 30.09.2024

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि वादी के सेटलमेन्ट से पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात मौजा गुलाना पटवार हल्का गोविन्दपुरा तह0 बेगूँ में स्थित है। जिसके पुराने नम्बर सेटलमेन्ट से पूर्व के अनुसार तफशील निम्न प्रकार है :–

खसरा संख्या	रकबा
863	3बीघा 6 बिस्वा

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित आराजी के वर्तमान आराजी संख्या 664 रकबा 2 बीघा भूमि वादी के खातेदारी हक से दर्ज करके शेष रका सेटलमेन्ट अधिकारियों द्वारा इस्तयाब नम्बर 23 से पुराने आराजी संख्या 863 के नये नम्बर 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 13 के नाम दर्ज रिकोर्ड हो गई है। यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित भूमि सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी संख्या 863 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी के पैतृक रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड होकर चली आ रही थी। लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा वक्त सेटलमेन्ट सम्वत 2028 की जमाबन्दी में आराजी संख्या 2 बीघा भूमि वादी के खातेदारी हक से दर्ज कर शेष रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसके वर्तमान विवादित आराजी संख्या 747/664 वक्त सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा सहवन से भूलवश इस्तयाब (इन्तकाल) नम्बर 23से गत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

...णी संख्या 863 के नये आराजी संख्या 747/664 कायम कर प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम दर्ज रिकार्ड कर दी गई है।

यह कि वाद पत्र की चरण संख्या 2 में अंकित भूमि वर्तमान में भी कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो की गलती से सहवन से भूलवश वर्तमान आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के पूर्वजो के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गई है। वर्णित भूमि पर पूर्व से ही वादी के पितामह एवं पिता के नाम दर्ज रिकार्ड होकर सेटलमेन्ट से पूर्व से ही वादी के परिवार का कब्जा काश्त चला आ रहा है।

यह कि वादपत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि वादी के पितामह के नाम से दर्ज रिकार्ड थी, लेकिन सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा सहवन से भूलवश इस्तयाब नम्बर (इन्तकाल) 23से पुराने आराजी संख्या 863 कुल रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि में से वर्तमान आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम गलत दर्ज रिकार्ड कर दी गई है। सेटलमेन्ट की गलती से प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 13 के नाम मात्र दर्ज हो जाने से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के मन में बदनियत आ जाने से एवं वादी से पैसा ऐंठने की गरज से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 आये दिन वादी को आराजी बेचान करने रहन बय एवं कब्जा काश्त छीनने की धमकी देते है जिसका प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 13 तक को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 आपस मे सगे भाई होकर एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के मध्य आपसी सहमति से पैतृक कृषि आराजीयात का बंटवाडा किये जाने से विवादित आराजी संख्या 747/664 वादी के कब्जे काश्त मे होने से एवं प्रतिवादीगण संख्या 14व 15 वादी से रंजिश रखते है इसी कारण से प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 से दूरभि संधि करके वादी के पैतृक हक हिस्से की एवं पुश्तैनी खातेदारी भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 से मिलीभगत करके हडपना चाहते है। यह कि वर्णित भूमि के नये विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नामदर्ज होने मात्र से वादी से छीनना चाहते है। जिसका प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है।

वाद कारण दिनांक 01.07.2016 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 द्वारा अपने नाम मात्र पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के आधार पर जबरन ताकत के बल पर वादी की पैतृक कब्जे काश्त की एवं सेटलमेन्ट से पूर्व की खातेदारी की भूमि पर जबरन कब्जा करने एवं रहन बय बेचान करने की धमकी देने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि प्रतिवादी संख्या 14 व 15 वादी के सगे भाई होकर एक ही हिन्दू परिवार के सदस्य है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 14 व 15 वादी से रंजिश रखते है। वादी की पैतृक हक हिस्से की भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 से दुरभिसंधी करके हडपना चाहते है। इस कारण प्रतिवादी संख्या 14 व 15 को प्रतिवादी बनाया गया है। वाद पत्र घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का होकर प्रतिवादी संख्या 16 भूमि जी व 17 जिला कलेक्टर जरिये राजस्थान सरकार वादपत्र में आवश्यक पक्षकार होने से इन्हें वादपत्र मे पक्षकार बनाया गया है।

अतः न्यायालय श्रीमान आपसे वादी निम्न अनुतोष प्राप्त करने का वैद्य अधिकारी है कि :-

1- कि मौजा गुलाना पटवार हल्का गोविन्दपुरा तह0 बेगूँ के सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी संख्या 863 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा सहवन से भूलवश वक्त सेटलमेन्ट इस्तयाब(इन्तकाल) नम्बर 23 से वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पुरानी आराजी संख्या 863 रकाब 3 बीघा 6बिस्वा भूमि मे से वर्तमान विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज मात्र हो जाने से पुनः वादी के सेटलमेन्ट से पूर्व की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से वर्तमान विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि पुनः वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

2- यह कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादी की पैतृक खातेदारी की एवं कब्जे काश्त की भूमि के वर्तमान में आराजी संख्या 747/664 प्रतिवादीगण संख 1 लगायत 13 के नाम मात्र पर सेटलमेन्ट अधिकारियो की गलती से दर्ज हो जाने से मात्र से किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान इत्यादि नहीं करें।

3- कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादी के पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी संख्या 747/664 भूमि मे जबरन ताकत के बल पर वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी न तो स्वयं करें न ही अपने किसी नौकर ऐजेन्ट रिश्तेदार आदि से करावें।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 आराजी संख्या 747/664 भूमि अपने नाम मात्र पर दर्ज रिकार्ड हो जाने मात्र से किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देते है तो पुनः वादी के नाम पर दर्ज रिकार्ड किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

5— कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

6— कि खर्चा मुकद्मा व वकील मेहनताना वादी को प्रतिवादीगण से दिलाया जावें।

वादी का वादपत्र न्यायायल मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। पत्रावली में प्रतिवादीगण संख्या 1 से लगायत 14 तक बावजूद सूचना के न्यायालय मे उपस्थिती नहीं आने पर उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से अधिवक्ता श्री विष्णु कुमार चतुर्वेदी द्वारा अपना अधिकार पत्र इस पत्रावली मे प्रस्तुत कर जबावदावा वाद पत्र का प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी संख्या 15 की ओर से जबावदावे में निवेदन किया है कि वाद वर्णित आराजी संख्या 863 वादी के अकेले के स्वामित्व की नहीं होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14, 15 की पैतृक सम्पति है। आराजी संख्या 664 रकबा 2 बीघा भूमि वादी के अकेले की नही होकर वादी व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनो के स्वामित्व की है यह सही है कि आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम गलत दर्ज हो गई है।

यह कि भूप्रबंध के बाद पुरानी आराजी संख्या 863 वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनो की पैतृक थी अकेले वादी की नहीं। भूप्रबंध के बाद पुरानी आराजी संख्या 863 के दो नये नम्बर बने जो आराजी संख्या 664 जिसका रकबा 2 बीघा भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 14 व 15तीनों के नाम दर्ज है किन्तु आराजी संख्या 747/664 नामान्तरण संख्या 23 से प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम गलत रूप से दर्ज कर दी गई जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनों के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है। नवीन आराजी संख्या 664 व 747/664 दोनो ही पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 का तथा वादी का संयुक्त रूप से है अकेले वादी का न तो स्वामित्व है ना कब्जा है। वादी का अभिवचन त्रुटिपूर्ण होने से वादी के अनुसार वाद डिक्री योग्य न होकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनो के नाम आराजी संख्या 747/664 को संयुक्त रूप से दर्ज कराने के अधिकारी है।

यह कि नामान्तरण संख्या 23 से नवीन आराजी संख्या 747/664 गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के नाम गलत दर्ज कर दी गई यह अवश्य सत्य है किन्तु इस आराजी पर अकेले वादी का न तो स्वामित्व है एवं न ही काबिज है। स्वामित्व एवं कब्जा वादी व प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनो का है।दी को अपने अकेले के नाम दर्ज कराने का कोई अधिकार नहीं है।.

यह कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 तीनो सगे भाई है तो राजस्व रिकार्ड में संयुक्त रूप से दर्ज होने की स्थिति में बंटवाडा कैसे संभव है। वादी के द्वारा गलत अभिवचन किया गया है, वादी एवं प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के मध्य राजस्व रेकार्ड में संयुक्त खाता है एवं अभी विभाजन होना शेष है। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 वादी से कोई द्वेश नही रखते है। एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 13 के साथ कोई दुरभिसंधि नहीं है।

प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत होने पर पत्रावली में निम्न लिखित तनकी पत्र पृथक से कायम कर शामिल पत्रावली किया गया :—

1— कि मौजा गुलाना पटवार हल्का गोविन्दपुरा तह0 बेगूँ के सेटलमेन्ट से पूर्व के आराजी संख्या 863 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से सेटलमेन्ट अधिकारियो द्वारा सहवन से भूलवश वक्त सेटलमेन्ट इस्तयाब(इन्तकाल) नम्बर 23 से वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की पुरानी आराजी संख्या 863 रकाब 3 बीघा 6बिस्वा भूमि मे से वर्तमान विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 13 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज मात्र हो जाने से पुनः वादी के सेटलमेन्ट से पूर्व की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि होने से वर्तमान विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि पुनः वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

———जिम्मे वादी

2— कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 आराजी संख्या 747/664 भूमि अपने नाम मात्र पर दर्ज रिकार्ड हो जाने मात्र से किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान कर देते है तो पुनः वादी के नाम पर दर्ज रिकार्ड किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्रदान कराई जावें।

———जिम्मे वादी

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

यह कि वाद वर्णित अनुतोष की कलम संख्या एक वर्णित आराजी संख्या 747/664 का अकेले वादी के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है आराजी संख्या 747/664 वादी एवं प्रतिवादीसंख्या 14 व 15 तीनो के नाम दर्ज किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति फरमाये जाने की आज्ञप्ती फरमाई जावें। अनुतोष की कलम संख्या 2,3,4,5,6 वर्णित सभी अनुतोष अकेले वादी के पक्ष में नहीं होकर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के पक्ष में प्रदान किये जाने की आज्ञप्ति फरमायी जावें।

4— दादरसी ?

पत्रावली में तनकी पत्र कायम किये जाने के उपरान्त वादी की ओर से साक्ष्य वादी में जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये उनमें वादी स्वयं रामपाल पिता गंगाप्रसाद पुरोहित, गवाह शंकरलाल पिता भुवाना जी माली ,गवाह धनराज पिता मूला जी सुथार, गवाह नारायण पिता गंगाप्रसाद जी ब्राम्हण के प्रस्तुत किये जाकर मुख्य परीक्षण वादी रामपाल व गवाह नारायणलाल व गवाह धनराज से कराया गया जिसमें वादी द्वारा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया तथा मामला एक तरफा होने के कारण जिरह व पुनः परीक्षण निल रहा है। इस प्रकार वादी की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात प्रतिवादी साक्ष्य हेतु पत्रावली विचाराधीन थी किन्तु अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की ओर से हिदायत पैरवी नहीं होने का उल्लेख करते हुए पत्रावली में उपस्थिती नहीं दी जिससे मामला प्रतिवादी के विरूद्ध एक तरफा का न्यायालय द्वारा किया गया।

इस प्रकार प्रकरण वादी के पक्ष में एक तरफा का होने से एवं साक्ष्य वादी की एक तरफा पूर्ण होने के पश्चात अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस वाद पत्र पर ध्यानपूर्वक सुनी गई। अधिवक्ता वादी द्वारा अपनी बहस वाद पत्र के अनुसार ही करते हुए वाद वर्णित आराजी को वादी के नाम पर घोषित किये जाने व प्रति वादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है। बहस अधिवकता वादी की एक तरफा सुने जाने के उपरान्त हमारे द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी प्रदर्श दस्तावेज का अवलोकन किया गया। पत्रावली में वादी द्वारा प्रदर्श— 1 नक्शा ट्रेस आराजी का प्रस्तुत किया है। प्रदर्श— 2 नकल जमाबंदी सम्वत 2072 से 2075 मौजा गुलाना की पेश की है। प्रदर्श—3 भूप्रबन्ध सेटलमेन्ट का खसरा परिशोधन पत्र की नकल प्रस्तुत की है। प्रदर्श—4 से प्रदर्श—5 व प्रदर्श—7 व प्रदर्श—8 नकल भू—प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रस्तुत की है। प्रदर्श—6 नकल जमाबंदी मौजा गुलाना की सम्वत 2020 से 2028 तक की प्रस्तुत की है। प्रदर्श— 9 खसरा गिरदावरी की पेश की है। इन सभी दस्तावेज का गहन अवलोकन किये जाने के वाद पत्रावली मे कायम तनकी पत्र अनुसार निर्णय निम्न प्रकार से किया जाता है ।

1— <u>तनकी नम्बर 1 का निर्णय</u> ::—

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी का है। वादी ने अपने वाद पत्र के समर्थन में जो राजस्व दस्तावेज प्रस्तुत किये है जिनका हमारे द्वारा अवलोकन किया गया है। प्रदर्श—2 नकल जमाबंदी मौजा गुलाना की सम्वत 2072 से 75 की प्रस्तुत की है जिसमें अन्य आराजी नम्बरान के साथ दर्ज वाद वर्णित विवादित आराजी संख्या 747/664 रकबा 0.2110 हैक्टर भूमि के खातेदार श्री शम्भुलाल पिता उदयलाल श्रीमती भूरीबाई पत्नी सव. उदयलाल, भागूती चेनी सुन्दर पिता मोडा मु. भूरी वेवा मोडा रामगोपाल मुकेश नन्दुबाई कैलाशीबाई कांताबाई पिता उंकार ना.वा.स.प.काका शम्भुलाल मीणा सा.देह खातेदार दर्ज है यानि आराजी संख्या 747/664 के खातेदार प्रतिवादीगण है। वादी का कथन है कि सेटलमेन्ट से पूर्व के मौजा गुलाना आराजी संख्या 863 से नये आराजी नम्बर 747/664 बने है जो कि गत आराजी संख्या 863 वादी के पूर्वजो के नाम पर दर्ज थे, इसके समर्थन ने वादी द्वारा नकल खसरा परिशोधन पत्र की नकल जो कि प्रदर्श—3 है को प्रस्तुत किया है, जिसमें दर्ज वर्तमान आराजी संख्या 664 व गत आराजी संख्या 863 रकबा 2वीघा भूमि के खातेदार गंगाप्रसाद पृथ्वीराज पिता नन्दकिशोर ब्राम्हण सा.देह अंकित है तथा नाम कृपक के कॉलम में नन्दकिशोर पिता किशनलाल ब्राम्हण सा.देह खातेदार का नाम दर्ज है। वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श—4 से प्रदर्श—5 व प्रदर्श—7 व प्रदर्श—8 नकल भू—प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रस्तुत की है। यह नकले गत आराजी नम्बर से नवीन आराजी नम्बरान व रकवे के सम्बन्ध में प्रस्तुत की गई हैं। जिसे प्रदर्श—4 पर दर्ज नवीन आराजी संख्या 664 रकबा 3 वीघा 6 विस्वा भूमि जिसके गत आराजी संख्या 863मी. व 861 है की भूमि नन्दकिशोर वल्द किशनलाल ब्राम्हण सा.देह के नाम पर दर्ज है तथा कॉलम संख्या 24 में गंगाप्रसाद पृथ्वीराज पिता नन्दकिशोर ब्राम्हण सा.देह खातेदार का नाम दर्ज किया हुआ है। प्रदर्श—5 में नवीन आराजी संख्या 747/664 रकवा 1 वीघा 6 विस्वा भूमि जो कि गत आराजी संख्या 861 से बने हुई होना अंकित किया है जो कि भोला पिता मोती मीणा सा.देह के नाम दर्ज की हुई है तथा कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में मापा रकवा 664 का रकवा 1बीघा 6 विस्वा दर्ज किया हुआ है, यानि यह 1बीघा 6 विस्वा भूमि नवीन आराजी संख्या 664 की आराजी है जो कि दस्तावेज प्रदर्श— 3 के अनुसार वादी के पूर्वजो के खाते में दर्ज थी, प्रदर्श—6 नकल जमाबंदी मौजा गुलाना सम्वत 2025 से 28 की प्रस्तुत

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)

6 जिसमें आराजी संख्या 863 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा भूमि के खातेदार नन्दकिशोर पिता किशनलाल ब्राम्हण खातेदार दर्ज है जमाबंदी में नोट अंकित है कि खातेदार के बजाय गंगाप्रसाद पृथ्वीराज पिता नन्दकिशोर के नाम दर्ज किया।

प्रदर्श–7 भू प्रबन्ध सेटलमेन्ट विभाग की नकल है जिसमें नवीन आराजी संख्या 664 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि जिसके गत आराजी संख्या 863मी,861 होकर रकबा 2 बीघा अंकित है जो कि नन्दकिशोर वल्द किशनलाल ब्राम्हण सा0देह खातेदार के नाम दर्ज है तथा कॉलम नम्बर 24 में गंगाप्रसाद पृथ्वीराज पिता नन्दकिशोर ब्राम्हण सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है। कॉलम संख्या 26 विशेष विवरण में दर्ज किया है कि नया आराजी नम्बर 747/664 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि जरिये इन्तकाल नम्बर 23 दिनांक 24.02.67 अंकित किया गया है। प्रदर्श–8 नकल भू–प्रबंध सेटलमेन्ट विभाग की नकल प्रदर्श–5 की नकल एक ही है जिसका अवलोकन उपर कर लिया गया है। प्रदर्श–9 नकल खसरा मौजा गुलाना तहसील जावद जिला मंदसोर सम्वत 1993 की प्रस्तुत की है जिसमें गत आराजी संख्या 861के कृषक नन्दकिशोर वगै दर्ज होकर उनके द्वारा मेथी मसूर आदि फसल का अंकन किया हुआ है। इन सभी दस्तावेज के अवलोकन से मामला स्पष्ट हो जाता है कि गत आराजी संख्या 863 जिसके नवीन आराजी संख्या 664 बने वक्त सेटलमेन्ट उक्त नवीन आराजी को प्रतिवादीगण के नाम पर दर्ज कर दिया गया है जो कि इन्तकाल संख्या 23 दिनांक 24.02.1967 से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किया गया। है वास्तविकता में यह आराजी वादी की पैतृक आराजी होकर वादी के नाम पर ही नया आराजी नम्बर 747/664 कमी रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा दर्ज होना चाहिए तभी वादी का गत आराजी का रकबा 3बीघा 6 बिस्वा भूमि पूर्ण होती है।साथ ही वादी की साक्ष्य से उक्त आराजी पर कब्जा काश्त भी वादी का ही है। इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण 1 से 13 के द्वारा न्यायालय मे उपस्थित आकर कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है, जो प्रतिवादी सं. 15 द्वारा जबाव प्रस्तुत किया है वह वादी का ही भाई है जिन्होने भी इस आराजी को पूर्वजो की आराजी बताई है तथा बाद में वे व उनके अधिवक्ता भी न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये हैं। इस प्रकार मौजा गुलाना की आराजी संख्या 747/664 रकबा 1बीघा 6 बिसवा यानि 0.2110 हैक्टर भूमि को वादी अपने नाम दर्ज करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। तनकी नम्बर 1 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 निर्णित की जाती है।

2– तनकी न0 2 का निर्णय::–

इस तनकी को सिद्ध करने का भार भी वादी का है। वादी का कथन है कि दौराने वाद प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द फरमाया जावे कि वे वादी की पैतृक खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि के वर्तमान में आराजी संख्या 747/664 प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 13 के नाम मात्र पर सेटलमेन्ट अधिकारियो की गलती से दर्ज हो जाने मात्र से किसी अन्य दीगर को रहन बय बेचान इत्यादि न करें, इस सम्बन्ध में वादी द्वारा जो दस्तावेज इस दावा पत्रावली में प्रस्तुत किये है उनका अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने के उपरान्त तनकी नम्बर 1 वादी के पक्ष में निर्णित की गई है। दस्तावेजी साक्ष्य सबूत से यह तथ्य सत्य है कि गत आराजी संख्या 863 के नवीन आराजी संख्या 664 जिसका रकबा वादी के पूर्वजो के खाते मे दर्ज था, जिसका गत रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा था जो वादी के पूर्वजो के नाम था, जिसके नये आराजी नम्बर 747/664 बनाते हुए रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के खाते में सेटलमेन्ट द्वारा दर्ज कर दी है, जिसे वादी अपने नाम पर दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर घोषित करा पाने के अधिकारी पाये गये है, लेकिन आराजी संख्या 747/664 जो कि प्रतिवादीगण 1 से 13 के खाते में दर्ज है जिसका नाजायज लाभ उठाते हुए प्रतिवादीगण उक्त आराजी को किसी अन्य को बय बेचान रहन आदि नहीं करें इस हेतु वादी प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। इस प्रकार तनकी नम्बर 2 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सं0 1 से 13 के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

3– तनकी नं0 3 का निर्णय ::–

इस तनकी को सिद्ध कराने का भार प्रतिवादी सं0 15 का था, प्रतिवादी द्वारा दावा पत्र का जवाव तो प्रस्तुत किया है किन्तु प्रतिवादी द्वारा अपने जबाव की पुष्टी में कोई साक्ष्य इस दावा पत्रावली मे प्रस्तुत नहीं की है ना ही कोई ठोस दस्तावेज प्रस्तुत किया है। साथ ही प्रतिवादी के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में हिदायत पैरवी नही होने का नोट अंकित किया है जिससे प्रतिवादी न्यायालय मे उपस्थित न होने से उनके विरूद्ध मामला एक तरफा का न्यायालय द्वारा किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध करा पाने में असफल रहे है। अतः तनकी नं0 3 बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

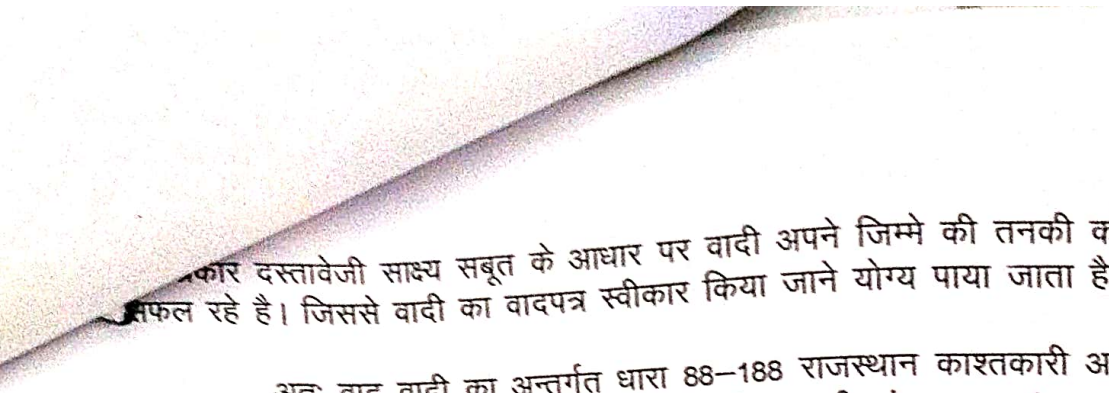

...प्रकार दस्तावेजी साक्ष्य सबूत के आधार पर वादी अपने जिम्मे की तनकी को सिद्ध करा पाने में सफल रहे है। जिससे वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा गुलाना प0ह0 गोविन्दपुरा की आराजी संख्या 747/664 रकबा 0.2110 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 तक के खाते से कम कर वादी के नाम पर राजस्व खाते में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 से 13 तक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा गुलाना की आराजी संख्या 747/664उनके खाते में दर्ज होने से नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य किसी को बय बेचान रहन आदि को न तो स्वयं करें न अन्य से करावे। तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार से दखलंदाजी न स्वयं करें न अन्य से करावें। दावा डिकी किया जाता है। डिकी प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूँ को दी जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

मूल वाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)

दावा संख्या :—120/2016

रामपाल पिता स्व. गंगाप्रसाद जी पुरोहित निवासी गुलाना तह0 बेगूं
वादी

बनाम

1. शंभूलाल पिता उदा जी मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूं
2. भूरीबाई पति स्व. उदयलाल जी मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूं
3. नन्दा पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ़ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
4. नानूराम पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ़ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
5. मांगीलाल पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ़ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
6. मोहनलाल पिता किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ़ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
7. शंकरीबाई पुत्री किशना जाति मीणा निवासी श्यामगढ़ पोस्ट पदमपुरा तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
8. शंभूलाल पिता भंवरलाल जाति मीणा निवासी छोटी बिजौलिया तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
9. सुन्दर पत्नी चूना जाति मीणा निवासी छोटी बिजौलिया तह0 माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
10. नन्दूबाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना हाल मुकाम पति रमेश मीणा निवासी कचौलिया तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
11. कैलाशी बाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना हाल मुकाम पति सातु जी मीणा निवासी धाकड़ खेड़ी तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा
12. कान्ताबाई पुत्री स्व. उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूं
13. रामगोपाल पिता उंकार जाति मीणा निवासी गुलाना तह0 बेगूं
14. दलपत पिता गंगाप्रसाद जाति पुरोहित निवासी गुलाना तह0 बेगूं
15. नारायण लाल पिता गंगाप्रसाद जाति पुरोहित निवासी गुलान हाल मुकाम ब्रम्हपुरी मोहल्ला बेगूं
16. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं
17. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय जी चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद अ0धा0 88—188 राज0 काश्त0 अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से ....

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार शर्मा की उपस्थिती तथा प्रतिवादीगण की ओर से .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 88—188 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 30.09.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बेगूं के समक्ष निपटारे हेतु उपस्थित होने से वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—188 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा गुलाना प0ह0 गोविन्दपुरा की आराजी संख्या 747/664 रकबा 0.2110 हैक्टर भूमि को प्रतिवादी संख्या 1 से 13 तक के खाते से कम कर वादी के नाम पर राजस्व खाते में दर्ज किये जाने की घोषणा की जाती है। साथ ही प्रतिवादी सं0 1 से 13 तक को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे मौजा गुलाना की आराजी संख्या 747/664उनके खाते में दर्ज होने से नाजायज लाभ उठाते हुए अन्य किसी को बय बेचान रहन आदि को न तो स्वयं करें न अन्य से करावे। तथा वादी के शांतिपूर्वक कब्जे में किसी प्रकार से दखलंदाजी न स्वयं करें न अन्य से करावें। दावा डिक्री किया जाता है। डिक्री प्रति पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जावें।

यह ~~[illegible]~~ अंतिम डिक्री आज दिनांक 30.09.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)

क्रमांक/सरिश्ता/2024/

दिनांक :—

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार, बेगूं को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं
बेगूं (चित्तौड़गढ़)